प्रधानमन्त्री रेल कौशल विकास योजना

आवश्यक सूचनाएँ

ट्रेड–1 . वेल्डर

अर्हता– हाई स्कूल पास , उम्र - 18 -35 वर्ष

चयन प्रक्रिया– हाई स्कूल के नम्बरो के प्रतिशत से मेरिट के आधार पर , चयन किया जायेगा । CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए सीबीएसई के नियमानुसार 9.5 से गुणा किया जायेगा । मेरिट के आधार पर निर्धारित बैच साइज़ से अधिक अभ्यर्थी चयनित पाए जाने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी |आवेदन निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवश्यक दस्तावेजो के साथ जमा करना होगा |

अन्य :

1. प्रशिक्षण निः शुल्क है.प्रशिक्षु को अपने रहने , खाने- पीने ,आने- जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
2. इस प्रशिक्षण में धर्म , जाति आदि के आधार पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा |
3. प्रशिक्षु को केवल एक बार प्रशिक्षण करने की अनुमति दी जाएगी |
4. प्रशिक्षण केवल दिन के समय तीन सप्ताह (100 घंटे) के लिए दिया जायेगा ।
5. इस प्रशिक्षण में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी |
6. चयनित प्रशिक्षुओं को एंट्री पास प्रदान किए जाएंगे |
7. ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु को रिटर्नेबिल आधार पर हेलमेट, दस्ताने फ़ेस शील्ड आदि सुरक्षा हेतु प्रदान किए जाएंगे |
8. प्रशिक्षण केंद्र में केंद्र के सारे नियम मानने होंगे । प्रशिक्षुओं को पूरी सुरक्षा के साथ प्रशिक्षण देने के पूरे प्रयास केंद्र द्वारा किये जायेंगे । परन्तु अपने स्वास्थ्य , सुरक्षा और किसी दुर्घटना के लिए प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा ।
9. प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान रेलवे प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा |
10. प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा |
11. अभ्यर्थी के चयनित हो जाने के पश्चात उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट (प्रोफॉर्मा संलग्न - Annexure-I) संलग्न करना होगा ।
12. अभ्यर्थी के चयनित हो जाने के पश्चात उसे 10 रु॰ के नॉन-ज्यूडीशियल बॉन्ड पेपर पर एक नोटराइज्ड एफीडेविट प्रस्तुत करना होगा |(प्रोफॉर्मा संलग्न - Annexure-I⊥)
13. प्रेक्टिकल परीक्षा में 60% तथा लिखित परीक्षा में 55% अंक पाने वाला अभ्यार्थी ही पास माना जाएगा ।
14. प्रशिक्षण के अंतिम चरण में एक टेस्ट (लिखित तथा प्रयोगात्मक) होगा और सफल पाए जाने वाले प्रशिक्षु को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा
15. अभ्यार्थियो को निर्देश। दिए जाते है कि वे अपने साथ। कोविड–19 वैक्सीनेश।न प्रमाण पत्र साथ। लाऐ तथा। एग एच ए के दिश।। निर्देश।ों की पालना सुनिश्चित करें।